



ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के संशोधन मानदंड

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अपने **ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP)** की कार्यप्रणाली में संशोधन किया है। अब वृक्षारोपण के लिये ग्रीन क्रेडिट केवल लगाए गए पेड़ों की संख्या पर नहीं, बल्कि **पेड़ों के जीवित रहने की दर और उनके कैनोपी कवर** पर आधारित होंगे।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत संशोधन रूपरेखा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **क्रेडिट्स:** ग्रीन क्रेडिट केवल 5 वर्ष बाद ही प्रदान किये जाएंगे (यदि पुनर्स्थापित भूमि पर 40% से अधिक कैनोपी कवर हो)। प्रत्येक जीवित पेड़ पर 1 क्रेडिट दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य वास्तविक पारस्थितिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है।
 - वर्ष 2024 की अधिसूचना में लगाए गए पेड़ों की संख्या के आधार पर क्रेडिट दिये जाते हैं, जबकि वर्ष 2025 की अधिसूचना में वनस्पति की स्थिति और कैनोपी घनत्व (canopy density) के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
- **आवेदक एक सत्यापन शुल्क** के साथ दावा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। निर्धारित एजेंसियाँ पेड़ों के जीवित रहने की स्थिति और उनके कैनोपी की जाँच करती हैं तथा इसके बाद ही क्रेडिट जारी किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में **थर्ड-पार्टी** सत्यापन का उपयोग किया जाता है।
- **गैर-हस्तांतरणीय क्रेडिट्स:** ये क्रेडिट्स न तो बेचे जा सकते हैं और न ही स्थानांतरित किये जा सकते हैं, सिवाय किसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बीच।
 - **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)** या परियोजना-संबंधित दायित्वों के लिये बदला जा सकता है। एक बार उपयोग हो जाने के बाद इन क्रेडिट्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) क्या है?

- **परिचय:** ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 (Green Credit Rules, 2023) एक बाजार-आधारित तंत्र प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य **सर्वोच्च वृक्षारोपण** को बढ़ावा देना और व्यक्तियों, समुदायों, उद्योगों तथा कंपनियों द्वारा वनीकरण (afforestation) के लिये **बंजर/क्षतग्रस्त भूमि की सूची** तैयार करना है।
 - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित इन नियमों में पर्यावरणीय कार्रवाइयों के लिये क्रेडिट प्रदान किये जाते हैं, ताकि अनुपालन, **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)** और जलवायु-पॉजिटिव पहलों को समर्थन मिल सके।
- **मुख्य उद्देश्य:**
 - वेब पोर्टल के माध्यम से **क्षतग्रस्त वन भूमि का गतिशील सूचीकरण तैयार करना**, जो वृक्षारोपण गतिविधियों के लिये सुलभ हो।
 - **सरकारी संस्थानों, PSU, NGO, निजी कंपनियों, परोपकारी संगठनों और व्यक्तियों को वनीकरण** के लिये वृक्षारोपण ब्लॉकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
 - **प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफॉर्म और रजिस्ट्री** के माध्यम से **पारदर्शी पंजीकरण, सत्यापन तथा नगिरानी** सुनिश्चित करना।
- **शासन संरचना:** ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP) की देखरेख **भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE)** द्वारा की जाती है और इसका क्रियान्वयन **राज्य वन विभागों** के माध्यम से होता है।
 - वृक्षारोपण पूर्ण होने के उपरांत, **ICFRE स्थल का निरीक्षण करता है** और हर सजीव वृक्ष को **एक ग्रीन क्रेडिट के रूप में दर्ज किया जाता है**।
 - इन क्रेडिट्स का उपयोग **प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation)** या **ESG/CSR दायित्वों** को पूरा करने के लिये किया जा सकता है।
 - एक **ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री** इन क्रेडिट्स का लेखा-जोखा रखती है और एक **घरेलू मंच** इनके आदान-प्रदान का प्रबंधन करता है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम क्षेत्र

सतत् भवन

पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का उपयोग कर सतत् भवनों का निर्माण करना।

वृक्षारोपण

हरित आवरण बढ़ाने के लिये वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहन।

ईकोमार्क लेबल

वस्तुओं और सेवाओं के लिये ईकोमार्क लेबल प्राप्त करने हेतु विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करना।

मैंग्रोव संरक्षण

मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन के उपायों को बढ़ावा देना।



जल प्रबंधन

जल संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।

सतत कृषि

प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।

वायु प्रदूषण में कमी

वायु प्रदूषण को कम करने और प्रदूषण निवारण को प्रोत्साहित करना।

अपशिष्ट प्रबंधन

परिपत्र अर्थव्यवस्था और सतत् अपशिष्ट प्रथाओं को बढ़ावा देना।

Made with Napkin

ग्रीन क्रेडिट बनाम कार्बन क्रेडिट

पहलू	ग्रीन क्रेडिट	कार्बन क्रेडिट
केंद्र (Focus)	यह एक प्रोत्साहन इकाई है, जो ऐसी गतिविधियों के लिये दी जाती है जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। <ul style="list-style-type: none"> इसका संचालन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत GCP द्वारा किया जाता है। 	मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। <ul style="list-style-type: none"> कार्बन क्रेडिट धारक को प्रति क्रेडिट 1 टन CO₂ (या समतुल्य GHG) उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। भारत में यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 द्वारा शासित है।
पात्रता (Eligibility)	व्यक्तियों एवं समुदायों हेतु उपलब्ध।	सामान्यतः उन संस्थाओं के लिये जो उत्सर्जन घटाती हैं या परियोजनाओं में नविश करती हैं।
प्रोत्साहन (Incentives)	पर्यावरण-अनुकूल कार्यों के लिये मौद्रिक	अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट व्यापार से राजस्व।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????

प्रश्न. कार्बन क्रेडिट की अवधारणा नमिनलखिति में से कसिसे उत्पन्न हुई है? (2009)

- (a) पृथ्वी शखिर सम्मेलन, रयिओ डी जनेरयिओ
- (b) क्योटो प्रोटोकॉल
- (c) मॉन्ट्रयिल प्रोटोकॉल
- (d) जी-8 शखिर सम्मेलन, हेलीजेंडम

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. "कार्बन क्रेडिट" के संबंध में, नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? (2011)

- (a) कार्बन क्रेडिट प्रणाली को क्योटो प्रोटोकॉल के साथ अनुमोदति कयिा गया
- (b) कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान कयिा जाता है जनिहोंने ग्रीनहाउस गैसों को अपने उत्सर्जन कोटा से नीचे ला दयिा है
- (c) कार्बन क्रेडिट प्रणाली का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि को सीमति करना है
- (d) कार्बन क्रेडिट का कारोबार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय-समय पर तय की गई कीमत पर कयिा जाता है ।

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न. ग्लोबल वार्मगि (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजयिे और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजयिे । क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मगि का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लयिे नयित्रण उपायों को समझाइये । (2022)